न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर सभाग सागर
नि/निगरानी/दमोह/भू.रा./2017/3272

हरगोबिंद पिता खरगा काछी,

निबासी– बिजौरी नवलशाह, तहसील बटियागढ़, जिला दमोह म0प्र0

...........आवेदक

वनाम

सरजू पिता बहोरी काछी,

निबासी– बिजौरी नवलशाह, तहसील बटियागढ़, जिला दमोह म0प्र0

....................अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता 1959 :–

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

1– यह कि आवेदक यह निगरानी , **न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय पथरिया, जिला दमोह द्वारा प्र0क0 164/अ–5/2015–16 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 22/03/2017** से परिवेदित होकर कर रहा है, जिसमें बिलंब हो गया है। जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान जी को प्राप्त है।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, आवेदक द्वारा एक आवेदनपत्र तहसीलदार महोदय पथरिया, जिला दमोह को रकवा दुरूस्ती वावद प्रस्तुत किया था, कि मौजा बिजौरी नवलशाह स्थित भूमि खसरा नंबर 103/1 रकवा 0.17 हैक्टर जिसका पुराना खसरा नंबर 91 रकवा 0.563 हैक्टर था 0.21 है0 रकवा कम हो गया है। उपरोक्त रकवा में से 0.18 लक्ष्मण पिता चैतू हरिराम पिता सरजू को बिक्रय हो चुका है, अतः समस्त खातेदारों के नाम पुराने रिकार्ड के अनुसार 0.21 है0 रकवा की कमी की दुरूस्ती की मांग की गई थी। जिसके आधार पर प्र0क0 18अ/6अ/2005–06 दर्ज करके बिधिवत इश्तहार जारी करके हल्का पटवारी से जांच प्रतिवेदन स्थल पंचनामा एवं प्रस्तावित नक्शा भी दिया गया। प्रभावित कृषकों को सूचना पत्र जारी करके बिधिवत साक्ष्य एवं सुनवाई के उपरांत तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 89 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आवेदन पत्र स्वीकार करके

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति ओदश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/दमोह/भू.रा./2017/3272

हरगोविन्द विरूद्ध सूरज

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के नाम
08-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी पथरिया जिला दमोह के प्रकरण क्रमांक 164/अ-5/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 22-03-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर दमोह के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 06-05-2019 को कलेक्टर दमोह के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के. जैन) 8/3/19 सदस्य	